

## विज्ञापन संख्या-62 के पदों हेतु सामान्य निर्देश

1. विज्ञापित पदों के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण की अवधि प्रथमतः 03 वर्ष की होगी, जो संतोषजनक सेवा पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुरूप बढ़ाई जा सकती है।
2. रिक्तियों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर घट-बढ़ सकती है।
3. चयन / स्क्रीनिंग / साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थिति होने के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. भारत / राज्य सरकार सेवा में कार्यरत कार्मिक, जो अर्ह हों, वे ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आवेदन कर सकते हैं।
5. विज्ञापित पद पर सेवा स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवा स्थानान्तरण पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों / सुसंगत नियमों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि कार्मिक के मूल विभाग में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
8. जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु 01.01.2025 को 05 वर्ष से कम शेष रह गई है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
9. प्रतिनियुक्ति भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
10. विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://dsmru.up.nic.in> से डाउनलोड किये गये निर्धारित आवेदन—पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। **Online** आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन—पत्र स्वीकार किये जाएंगे। अधूरे तथा किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. विज्ञापित पद के सापेक्ष प्राप्त आवेदन—पत्र किसी भी कारण से निरस्त किये जाने पर अथवा अन्य किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित / निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. इस विज्ञापन के सम्बन्ध में सभी सूचनाएं तथा पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा / साक्षात्कार / परिणाम आदि की समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://dsmru.up.nic.in> पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सम्बन्ध में पृथक से सूचनाएँ प्रकाशित नहीं की जायेंगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह समय—समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।
13. आवेदन—पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने, अपूर्ण होने तथा आवेदन—पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. सेवा स्थानान्तरण की अवधि के दौरान किसी विभाग का संविलियन होने / रुग्ण अथवा बन्द इकाई मृत घोषित (Sick) होने पर सेवा स्थानान्तरित कार्मिक का सेवा स्थानान्तरण उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद उनका कोई दावा (Claim) स्वीकार्य नहीं होगा।
15. विज्ञापित पद हेतु निर्धारित वेतन लेवल से उच्च वेतन लेवल में कार्यरत अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
16. प्रत्येक पद हेतु अलग—अलग आवेदन—पत्र (संलग्नकों सहित) प्रस्तुत करना होगा तथा एक लिफाफे में एक ही आवेदन—पत्र मान्य होगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
17. आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-
  - (क) नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन—पत्र में चस्पा जाय।
  - (ख) आवेदन—पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण—पत्र, आयु प्रमाण—पत्र व अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न की जाएं।

18. आवेदन—पत्र प्रेषित करने से पूर्व लिफाफे के ऊपर पद का क्रमांक, विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित किया जाए, जिसका प्रारूप निम्नवत है :—

पद का क्रमांक .....	विज्ञापन सं0 : 62/भर्ती/2025–26
आवेदित पद का नाम :	डाक टिकट
सेवा में,	
कुलसचिव	
डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय	
मोहान रोड, लखनऊ, — 226 017	
प्रेषक :	
.....	
.....	
दूरभाष नं0 / मोबाइल नं0 : .....	
(अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये)	

19. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर उन्हें कोई मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।  
20. भरे जाने वाले पदों की संख्या प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत निरन्तरता के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पदों को आगे बढ़ाये जाने/चलते रहने की सम्भावना है।  
21. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी/विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपकी पात्रता को सुनिश्चित नहीं करेगी। शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो समस्त अभ्यर्थियों को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।  
22. सभी प्रकार के विवादों का निपटारा सिर्फ जनपद लखनऊ में स्थित न्यायालय में ही मान्य होगा।

उपरोक्त पदों के लिये विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आवेदन—पत्र पर ही समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक: 19 मई, 2025 को सायं 5.00 बजे तक कुलसचिव, डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ — 226 017 को प्राप्त हो जाएँ।

कुलसचिव  
डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय  
लखनऊ

डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ<sup>1</sup>  
गैर-शैक्षिक संवर्ग आवेदन—पत्र का प्रारूप

क्रमांक : .....  
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)



क्र0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक/प्राप्तांक एवं प्रतिशत	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	हाईस्कूल					
2.	इण्टरमीडिएट					
3.	स्नातक					
4.	परास्नातक					
5.	अन्य					
6.						

11. अधिमानी अर्हता :

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
अन्य						

12. अनुभव का तालिकाबद्ध विवरण :

क्र0सं0	मूल विभाग/संस्थान का नाम	पदनाम	वेतनमान/पे—लेवल	आहरित वेतन प्रतिमाह	अनुभव			सम्पादित कार्यों का विवरण
					कब से	कब तक	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								

13. क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड दिया गया है? (हाँ/नहीं) : .....

14. संलग्नकों का विवरण (क्रमवार संलग्नकों का विवरण भी अंकित करें) :

1.		2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	
11.		12.	

संलग्नकों की कुल संख्या : अंकों में ..... शब्दों में .....

### घोषणा—पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ—

- मैंने विज्ञप्ति में दी गई पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं तथा वे सभी मुझे मान्य हैं और उन सभी शर्तों को मैं पूरा करता/करती हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन—पत्र में दिये गये सभी तथ्य/विवरण/सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और मैंने इन सभी तथ्यों/विवरण/सूचनाओं में कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई तथ्य/विवरण/सूचना असत्य, भ्रामक अथवा गलत पायी जाए अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें।
- मैंने अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए लिखित अनुरोध कर दिया है कि मैं इस चयन के लिए आवेदन भेज रहा/रही हूँ। साक्षात्कार से पूर्व मैं अनापत्ति प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी। मेरे विरुद्ध विभागीय/अन्य स्तर पर न तो कभी कोई अनुशासनात्क कार्यवाही की गई है और न ही वर्तमान में कोई सतर्कता जॉच प्रचलित/लम्बित है।

स्थान : .....  
दिनांक : .....

अभ्यर्थी का पठनीय हस्ताक्षर दिनांक सहित  
(हस्ताक्षर पठनीय न होने पर आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।)